128

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1139-दो/2010 विरूद्ध आदेश दिनांक 06-7-10 पारित द्वारा कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल प्र0क्र0 226/अपील/2008-09.

1- गनपत पुत्र गुलरा बैगा
2- सुग्रीव पुत्र गुलरा बैगा
निवासीगण ग्राम गोयरा
तहसील व जिला डिंडोरी म.प्र. ---- आवेदक

विरूद्ध

1- दवीसिंह पुत्र सद्दू सिंह
निवासी ग्राम गोयरा
तहसील व जिला डिंडोरी म.प्र.
2- म0प्र0 शासन
द्वारा कलेक्टर, डिंडोरी ---- अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता ए. के. अग्रवाल ।
अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. श्रीवास्तव ।
अनावेदक क्रमांक 2 की ओर से अधिवक्ता श्री बी0एन0 त्यागी ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक २१ जून, 2016 को पारित)

यह निगरानी कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल के प्रकरण क्रमांक 226/अपील/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 6-7-2010 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम गोयरा की भूमि कुल किता 4

रकबा 10.22 एकड़ की भूमिस्वामी स्व. मुलियाबाई पत्नी डोमरा बेगा थी । उसके कोई संतान न होने के कारण उसके द्वारा दिनांक 3.4.97 को अनावेदक क्रं. 1 के पक्ष में वसीयत की गई । भूमिस्वामी की मृत्यु होने के उपरांत अनावेदक क्रं. 1 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष नामांतरण हेतु आवेदन पेश किया जिस पर से ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव क्रमांक 8 पारित कर आदेश दिनांक 31-12-98 के पालन में संशोधन पंजी क्रं. 2 के अनुसार 6.1.99 को राजस्व निरीक्षक मंडल, डिण्डोरी द्वारा अभिलेख दर्ज किए जाने के आदेश दिये । इस आदेश की अपील आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष की गई जो उन्होंने आदेश दिनांक 31.7.2000 द्वारा स्वीकार की एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए वसीयत की प्रमाणिकता की जांच कर नियमानुकुल आदेश पारित करें । इस आदेश से व्यथित होकर अनावेदक क्रं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस नयायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि अनावेदक क्रं. 1 मृतक भूमिस्वामी मुलियाबाई से कोई संबंध नहीं रखता है तथा वह पूर्णतः परिवार के बाहर का व्यक्ति है । उसके द्वारा चोरी छिपे वसियत संपादित कराई गई । ग्राम पंचायत को विवादित वसीयत के आधार पर नामांतरण प्रस्ताव पारित करने का अधिकार नहीं था । वसीयतनाम के आधार पर जब नामांतरण किया जाता है तब वसीयत को अभिप्रमाणित करने वाले साक्षियों के कथन लिया जाना आवश्यक है, ग्राम पंचायत वसीयत के कथन को अभिलिखित करने हेतु सक्षम नहीं है । इस कारण ग्राम पंचायत को प्रश्नाधीन नामांतरण में प्रस्ताव पारित करने की अधिकारिता नहीं थी । अतः अनुविभागीय अधिकारी ने जो आदेश पारित किया था, वह उचित और विधिसम्मत था जिसे निरसत करने में अपर आयुक्त ने त्रुटि की है ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया गया कि उनकेहित में पंजीकृत बिल है । वसीयतकर्ता निसंतान थी । आयुक्त का आदेश बोलता हुआ आदेश है, जिसे स्थिर रखा जाना चाहिए ।

5/ अनावेदक क्रमांक 2 शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किए जाने का अनुरोध किया गया ।

6/ उभयपक्षों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण वसीयत के आधार पर नामांतरण का है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि वसीयतकर्ता मुलिया बाई स्व. डोमरा की पत्नी है, उसके नाम खसरे के कॉलम नं. 3 में भूमिस्वामी के रूप में दर्ज था ऐसी स्थिति में उसे वसीयत करने का अधिकार है । उन्होंने 1993 आर0एन0 82 उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत के आधार पर विधवा को वसीयत करने के लिए सक्षम माना है । न्यायदृष्टांत 1995 (2) एम.पी. वीकली नोट 233) के आधार पर दिया गया यह निष्कर्ष भी उचित है कि राजस्व न्यायालय को स्वत्व के उपलब्ध सुसंगत दस्तावेज पर रिकार्ड में सुधार करना होता है नाकि स्वत्व का निर्णय । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह मानकर कोई त्रुटि नहीं की गई है कि स्व. बिलासावाई जिसके द्वारा की गई विवादित भूमि की वसीयत आवेदकों के पक्ष में की गई है, वह विवादित भूमि की भूमिस्वामी नहीं थी और उसके द्वारा वसीयत किया जाना विधि के अनुरूप नहीं है । उक्त तथ्यों को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनदेखा करने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित एवं न्यायिक है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर